

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

सुप्यार सिंह

बनाम

भंवर सिंह वगैरह

केस प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 19/14

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
26.02.14	<p>प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगणों के विरुद्ध अधीन धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र का दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये सम्मन जावब देही हेतु तलब किया जाये। पत्रावली दिनांक 11.04.2014 को पेश हो।</p> <p>11/4/14 आन युनाव प्रविया में 15/5/14 गीठानीत प्रविया में/अमच प्रविया पर को है, इन्लिए प्रकरण उनके सम्मन दिनांक 22/9/14 प्रकरण नं. B1</p> <p>15/5/14 - वकील प्रार्थी 300/ अग्रार्थी स० 1 व 2 की ओर से वकील श्री दशरथ सिंह रॉड ने वकील बनाम प्रविया प्रविया जावब हेतु सम्मन पालते ही अग्रार्थी स. 3 एवं 4 के सम्मन तामील शुद्ध आय जा जरे हागिरे ही उनक विकरुद एक-पश्चिम कार्यवाही अमल में लायी जाती है पत्रावली दिनांक 11/7/14 को पेश हो।</p> <p>11/7/14 गीठानीत प्रविया में/अमच प्रविया पर को है, इन्लिए प्रकरण उनके सम्मन दिनांक 22/9/14 प्रकरण नं. B1</p>	
तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस

12.4.17

वक्तव्य उप.। स्नाकि क कोडेश की पालना में पत्रावली दिनांक 16.6.17 को पेश हो।

31.7.17

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता शिफ्ट होन पर पत्रावली पेशी पर पीठारसीन

पीठारसीन अधिकारी की मिति में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक 29.9.17...को प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

29 9/5

पीठारसीन अधिकारी की मिति में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक 22.12.17 को प्रस्तुत करें।

22.12.17

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

पीठारसीन अधिकारी की मिति में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक 13.4.18...को प्रस्तुत करें।

13.6.18

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

पीठारसीन अधिकारी की मिति में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक 13.6.18...को प्रस्तुत करें।

11.5.18

Wojpud
15/5/18

पत्रावली न्याय आप के शर शिफ्ट में अटल सेवा केन्द्र शिफ्ट में पेश हुई। वकील शायी ने नोट लेख कठिवेदन किया की जमीन क प्रमाण में राजीनामा हो गया है। शायीनापत्र चलाना नही चाहते है अतः शायीनापत्र का शायीनापत्र जलिये विद्वेष स्वारीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम बैकल पेशा हुआ है। अतः उक्त उक्त दाखिल है।